

निर्धारण की तलाबी हेतु नोटिस जारी
कर कर गिरान आइका 23.01.25 का
पेश हो।

दीपक

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

23.01.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में
अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से
अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज
दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता
प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को
लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर
पर 'अदम पेरवी' व 'अदम हाजिरी' से
'रपारिज' किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारखिल
दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

दीपक
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

